


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नो व तारीख अदालत को इस हुक्म की कॉपी में जारी हू।
22.10.2024	<p style="text-align: center;">न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर अपील संख्या- 58/2020 अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट (GCMS No. 2020/00068)</p> <p>अनवान:</p> <ol style="list-style-type: none"> मालाराम पुत्र श्री किशनाराम जाति जाट निवासी संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। <p style="text-align: center;">बनाम</p> <ol style="list-style-type: none"> राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राजस्व तहसीलदार सूरतगढ़। <hr/> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। यह पत्रावली राजस्थान सरकार के राजस्व (युप-6) विभाग की अधिसूचना नंबर 1(17)राजस्व/2019/112 दिनांक 17.10.19 के द्वारा क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर से अग्रिम सुनवाई हेतु इस न्यायालय को हस्तांतरित हुई है। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट के अनुपस्थित रहने के कारण अपीलांट को इस न्यायालय द्वारा आगामी पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी करने के आदेश दिये। अपीलांट को दिनांक 29.08.2024 को नोटिस जारी कर आगामी तारीख पेशी से पूर्व स्वयं अथवा जरिये विधिक प्रतिनिधि इस न्यायालय में उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया, किन्तु नोटिस दिनांक 29.08.2024 जारी हो जाने के बावजूद आज दिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांट उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 22.10.2024 को सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (वन्दना सिंघवी) संभागीय आयुक्त, बीकानेर </p>	